मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4192
13.12.2019 को उत्तर के लिए
जानवरों/पक्षियों की प्रजातियों का लुप्त होना

4192. श्रीमती क्रीन ओझाः
डॉ. भारतीबेन डी॰ श्यालः
श्री शंकर लालवानीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पच्चीस वर्षों के दौरान लुप्त हुए जानवरों/पक्षियों की प्रजातियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त के कारणों का पता लगाया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जानवरों/पक्षियों की विभिन्न दुर्लभ प्रजातियों, जो लुप्त होने के कगार पर हैं के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) : जैसा कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा सूचित किया गया है, विगत 20 वर्षों में भारत में कोई भी पशु या पक्षी की प्रजातियां विलुप्त नहीं हुई हैं।

(ख) : उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : मंत्रालय द्वारा पशुओं और पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों और उनके पर्यावासों सहित वन्यजीवों को संरक्षित करने हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:

i. वन्य पशुओं, पक्षियों और उनके पर्यावासों को संरक्षित करने हेतु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत पूरे देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्रों नामत: राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिज़र्वों और सामुदायिक रिज़र्वों का निर्माण किया गया है।

ii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 'वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास', जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वन्यजीव पर्यावासों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना शामिल हैं, के तहत पशुओं/पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों सहित वन्यजीवों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने और उनके पर्यावासों में सुधार लाने हेतु बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

iii. 'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' की वर्तमान केंद्र-प्रायोजित योजना में हम्पबैक ह्वेल, गांगेय डाल्फिन, हिम तेंदुआ, हंगुल, संगाई हिरण, समुद्री कछुआ, बस्टार्ड, एडीबल – नेस्ट स्विफ्टलेट, निकोबार मेगापोड, जर्डन्स कोर्सर और गिद्ध सहित गंभीर रूप से संकटापन्न 21 अभिज्ञात प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान केंद्रित करने हेतु 'गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों और पर्यावासों के लिए बहाली कार्यक्रम' का एक विशिष्ट घटक शामिल किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को पक्षियों और पशुओं की गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों के बहाली कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

iv. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में उसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में वन्यजीव अपराध (धों) के लिए प्रयुक्त किसी उपकरण, वाहन या हथियान को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है।

v. पारि-विकास कार्यकलापों के माध्यम से उन स्थानीय समुदायों को संरक्षण संबंधी उपायों में शामिल किया जाता है जो वन्यजीवों के संरक्षण में वन विभाग की मदद करते हैं।

vi. मोरों सहित वन्य पशुओं के अवैध शिकार और पशुओं से प्राप्त सामग्रियों के गैर-कानूनी व्यापार के विषय में आसूचना एकत्रित करने तथा वन्यजीव कानूनों के प्रवर्तन में अंतर-राज्यीय और सीमापारीय समन्वय स्थापित करने हेतु वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की गतिविधियों में तेज़ी लाई गई है।

****